

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पिठासीन अधिकारी:-

सुनील कुमार चौहान आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.- 108/2022

निर्णय दिनांक:- 23-05-2022

नीपा पुत्री सुखेदवा जाति धानक निवासी पचेरी कलां

बनाम

तहसीलदार बुहाना

दावा बाबत - नक्शा दुरुस्ती एवं धोषणात्मक

वादीया की स्वयं की उपस्थिति में व प्रतिवादी तहसीलदार बुहाना की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 23-05-2022 को श्री सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, बुहाना के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

“ वाद वादीया स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम पचेरी कलां तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज0) स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 2972/574 रकबा 0.04 है. व खसरा नम्बर 2981/574 रकबा 1.37 है. भूमि का मुताबिक लठ्ठाशीट (प्रदर्श-अ) के अनुसार DILRMP शीट में तरमिम किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार बुहाना उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।”

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 23-05-2022 को प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 फोलोअप कैम्प पचेरी कलां के मजमे आम में सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना
बुहाना जिला-झुन्झुनू (राज.)

